रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 4, 2003/पौष 14, 1924

No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 4, 2003/PAUSA 14, 1924

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2003

का.आ. 12(अ).—जबकि, जांच-आयोग अधिनियम, 1952 (1952 के अधिनियम सं. 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने ''ऑपरेशन वेस्ट एण्ड'' के नाम से तहलका.कॉम द्वारा जारी वीडियो टेपों और प्रतिलिपियों में लगाए गए कुछ आरोपों की जांच करने के लिए का.आ. 266(अ) के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में दिनांक मार्च 24, 2001 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 403/1/2001-ए.वी.डी. -IV द्वारा उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति के. वेंकटस्वामी की अध्यक्षता में एक एकल सदस्यीय जाँच-आयोग नियुक्त किया था;

और जबकि, केन्द्र सरकार ने न्यायमूर्ति के. वेंकटस्वामी जाँच-आयोग का कार्यकाल, समय-समय पर बढ़ाया और भारत के असाधारण राजपत्र में दिनांक सितम्बर 21, 2002 को का.आ. 1021(अ) के रूप में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 403/19/2001-ए.वी.डी. -IV द्वारा उपर्युक्त आयोग का कार्यकाल पिछली बार जनवरी 31, 2003 तक बढ़ाया;

और जबकि, उपर्युक्त जाँच-आयोग के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति के. वेंकटस्वामी ने दिनांक नवम्बर 23, 2002 को अपना त्यागपत्र दे दिया;

और जबकि, केन्द्र सरकार ने न्यायमूर्ति के. वेंकटस्वामी जाँच-आयोग से न्यायमूर्ति के. वेंकटस्वामी का त्यागपत्र, नवम्बर 25, 2002 के अपराह्न से स्वीकार कर लिया;

और जबकि, उपर्युक्त जाँच-आयोग से न्यायमूर्ति के. वेंकटस्वामी का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के परिणामस्वरूप एक रिक्ति हो गई है;

और जबकि, केन्द्र सरकार का यह मत है कि उपर्युक्त जाँच जारी रखी जाए और उपर्युक्त आयोग में हुई रिक्ति भरी जाए;

अब, इसलिए, जाँच-आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3(3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, उपर्युक्त एकल सदस्यीय जाँच-आयोग की अध्यक्षता करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री एस. एन. फूकन को नियुक्त करती है;

2. दिनांक मार्च 24, 2001 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किए गए विचारार्थ विषय ही, उपर्युक्त आयोग के विचारार्थ विषय रहेंगे और वे अपरिवर्तित रहेंगे।

3. इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर उपर्युक्त आयोग को अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करनी है।

4. यदि उपर्युक्त आयोग उपयुक्त समझे तो वह अपने विचारार्थ विषयों के अंतर्गत आने वाले किन्हीं मसलों पर उपर्युक्त तारीख से पहले केन्द्र सरकार को अंतरिम रिपोर्ट दे सकता है।

5. उपर्युक्त आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

[सं. 403/6/2002-एवीडी-IV]
एस. के. पुरकायस्थ, अपर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2003

S.O. 12(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952, (60 of 1952) the Central Government had appointed a Single Member Commission of Inquiry headed by Justice K. Venkataswami, a retired Judge of the Supreme Court, to inquire into certain allegations made in the videotapes and transcripts released by tehelka.com under the name of "Operation West End" vide Notification No. 403/1/2001-AVD-IV dated 24th March, 2001, published in the Gazette of India, Extraordinary, as S.O. 266(E);

And whereas, the Central Government extended the term of the Justice K. Venkataswami Commission of Inquiry from time to time and vide Notification No. 403/19/2001-AVD-IV dated 21st September, 2002 published in the Gazette of India, Extraordinary, as S.O. 1021(E), the term of the Commission was last extended up to 31st January, 2003;

And whereas, Justice K. Venkataswami tendered his resignation as Chairman of the aforesaid Commission of Inquiry on 23rd November, 2002;

And whereas, the Central Government accepted the resignation of Justice K. Venkataswami from the post of Justice K. Venkataswami Commission of Inquiry with effect from the afternoon of 25th November, 2002;

And whereas, consequent upon acceptance of resignation of Justice K. Venkataswami from the Commission of Inquiry, a vacancy has arisen,

And whereas, the Central Government is of the opinion that the aforesaid inquiry should continue and the vacancy in the Commission should be filled;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by Section 3(3) of the Commissions of Inquiry Act, 1952, the Central Government hereby appoints Shri Justice S.N. Phukan, a retired Judge of the Supreme Court of India, to head the Single Member Commission of Inquiry;

2. The terms of reference of the Commission shall be the same as notified vide Notification of 24th March, 2001 and remain unaltered.

3. The Commission shall submit its report to the Central Government within a period of six months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

4. The Commission may, if it deems fit, make interim reports to Central Government before the said date on any matters covered by its terms of reference.

5. The headquarters of the Commission shall be at New Delhi.

[No. 403/6/2002-AVD-IV]

S. K. PURKAYASTHA, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.